



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)
रेलवे रोड़, हरवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurveda@gmail.com; Website : www.uau.ac.in

संख्या : 1527/उ0आ0वि0/परीक्षा/2023

दिनांक : 02/09/2023

कार्यालय आदेश

विश्वविद्यालय के परिसरो/निजी संस्थानों में बी0ए0एम0एस0 बैच 2018 (अंतिम व्यवसायिक) मुख्य परीक्षा एवं अन्य बैचों की पूरक परीक्षा (अंतिम व्यवसायिक) की समय-सारणी निम्नवत् निर्धारित की जाती है:-

बी0ए0एम0एस0 (अंतिम व्यवसायिक) बैच 2018- 19 की मुख्या परीक्षा एवं अन्य बैचों की पूरक परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत् है।

समय :- प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक

क्र0स0	विषय	प्रश्न-पत्र	सैद्धान्तिक परीक्षा/प्रयोगात्मक परीक्षा	
			दिनांक	दिवस
01	शल्य तंत्र	प्रथम प्रश्न-पत्र	03.10.2023	मंगलवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	05.10.2023	बृहस्पतिवार
02	कायचिकित्सा	प्रथम प्रश्न-पत्र	07.10.2023	शनिवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	09.10.2023	सोमवार
03	शालाक्य-तंत्र	प्रथम प्रश्न-पत्र	11.10.2023	बुधवार
		द्वितीय प्रश्न-पत्र	13.10.2023	शुक्रवार
04	पंचकर्म	-	16.10.2023	सोमवार
05	रिसर्च मेथोडोलॉजी एवं मेडिकल स्टैटिस्टिक्स	-	18.10.2023	बुधवार

2- उपरोक्त परीक्षाओं के परीक्षा फार्म एवं निर्धारित शुल्क विश्वविद्यालय को दिनांक 20.09.2023 अंतिम तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित। परीक्षा फार्म केवल ऑन-लाईन के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित पात्रता होनी आवश्यक है।

3- विश्वविद्यालय के परीक्षा समिति के निर्णय के क्रम में परीक्षा केन्द्रों पर जैमर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे तथा परीक्षा कक्ष भू-तल या प्रथम तल पर ही परीक्षा हॉल होना अनिवार्य होगा। साथ ही परीक्षार्थी द्वारा कोई भी इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण/अन्य सामग्री परीक्षा हॉल में ले जाना पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दण्ड दिया जायेगा।

4- परीक्षा हॉल में 30 परीक्षार्थियों पर 02 निरीक्षक रहेंगे तथा कक्ष निरीक्षको का दायित्व होगा कि परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं में अनुक्रमांक, विषय, दिनांक, प्रश्न-पत्र, छात्र के हस्ताक्षर ईत्यादि सही अंकित हो।

u

5-उक्त परीक्षा केन्द्र के प्राचार्य/अधीक्षक ही केन्द्र अधीक्षक होंगे जिनका दायित्व होगा की परीक्षा शान्तिपूर्ण एवं नकलविहीन सम्पादित कराई जायें।

6-परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की बीच की दूरी समुचित होनी अनिवार्य होगी।

7- छात्र/छात्राओं की उपस्थिति 75 प्रतिशत होने पर ही वह परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

8- केन्द्र अधीक्षक/पर्यवेक्षक का यह दायित्व होगा कि प्रश्नगत परीक्षा नकल विहित तथा शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पादित कराई जाये।

9- कक्ष निरीक्षको द्वारा परीक्षा समाप्ति के उपरान्त यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि परीक्षार्थियों ने उत्तर-पुस्तिका में कोई निशान/अनुक्रमांक/कोई अन्य सामग्री आदि न ही अंकित की /न ही चस्पा की हो।

10- परिसर निदेशक, विश्वविद्यालय परिसर/प्राचार्य, निजी सम्बद्ध संस्थान यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राएँ सी0सी0आई0एम0/ एन0सी0आई0एस0एम0 के निर्धारित मानक/ नियम पूर्ण कर रहें हो। जिन छात्रों की परीक्षा हेतु पात्रता है उनके ही परीक्षा फार्म को अग्रसारित किया जायें।

11- प्रथम एवं द्वितीय व्यवसायिक अनुत्तीर्ण छात्र-छात्राएँ उक्त परीक्षा हेतु पात्र नहीं होंगे।

12- परीक्षा केन्द्रों के सम्बंध में सूचना पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त आदेश मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन उपरांत निर्गत किया जा रहा है।

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव

Ch

संख्या एवं दिनांक तैदव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
2. संकाध्याक्षक आयुर्वेद, उ0आ0वि।
3. परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर (हरिद्वार)/गुरुकुल परिसर (हरिद्वार)/आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
4. प्राचार्य, निजी सम्बद्ध संस्थान।
5. गार्ड फाईल।

Aswathan
प्रभारी कुलसचिव

W